उत्तर प्रदेश प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण (उ0प्र0 कैम्पा) कार्यपालक समिति की दिनांक 12.12.2022 को आयोजित आठवीं बैठक का कार्यवृत्त

उत्तर प्रदेश कैम्पा कार्यपालक समिति की आठवीं बैठक दिनांक 12.12.2022 को प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश/अध्यक्ष, कार्यपालक समिति, उ0प्र0 कैम्पा की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में भाग लेने वाले कार्यपालक समिति के सदस्यों की सूची संलग्न है **(संलग्नक–1)**।

सर्वप्रथम, सदस्य सचिव, कार्यपालक समिति, उ0प्र0 कैम्पा द्वारा बैठक में उपस्थित कार्यपालक समिति के सदस्यों का स्वागत करते हुए अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक का शुभारम्भ किया गया।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से नियमित एजेंडा बिन्दुओं पर विचार–विमर्श के उपरान्त समिति द्वारा निम्नानुसार निर्णय लिए गएः–

एजेण्डा बिन्दु–1 :– उत्तर प्रदेश कैम्पा कार्यपालक समिति की सातवीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि किया जाना।

समिति द्वारा उ0प्र0 कैम्पा कार्यपालक समिति की सातवीं बैठक दिनॉक 18.01.2022 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।

समिति, गत् बैठकों में दिये गये निर्देशों (कार्यवृत्त) के अनुपालन की स्थिति से अवगत हुई तथा निम्नानुसार निर्देश निर्गत किये गयेः–

1. भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून से "Conducting studies from reputed University/ Organization/ Institutes on causes and remedies of man animal conflict." विषय पर कराये गये अध्ययन कार्यक्रम के सम्बन्ध में मुख्य वन संरक्षक, ईको विकास द्वारा यह अवगत कराया गया कि उक्त विषय पर भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून से रिपोर्ट प्राप्त हुयी है, जिसमें तकनीकी रूप से कतिपय संशोधन की आवश्यकता है।

   उक्त के क्रम में **समिति द्वारा निर्देश दिये गये कि प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव, उ0प्र0, लखनऊ के स्तर से भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून को उक्त विषय पर अध्ययन रिपोर्ट मे आवश्यक संशोधन करते हुये अन्तिम रिपोर्ट शीघ्र प्राप्त करने हेतु पत्राचार किया जाये एवं उक्त स्थिति से अपर वन महानिदेशक (वन्यजीव), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रलाय, भारत सरकार, नई दिल्ली को भी अवगत कराया जाये।**

   फारेस्ट सर्वे ऑफ इण्डिया, कौलागढ़ रोड, देहरादून से "Conducting studies from reputed University/ Organization/Institutes regarding impact of plantations on ecological parameters." विषय पर अपर प्रमुख वन संरक्षक/सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय समिति, काष्ठ आधारित उद्योग, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा अद्यतन स्थिति से अवगत कराया गया।

   उक्त के क्रम में **समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि Terms of Reference के अनुसार फारेस्ट सर्वे ऑफ इण्डिया, कौलागढ़ रोड, देहरादून से अध्ययन रिपोर्ट प्राप्त कर ली जाये तथा अन्तिम रिपोर्ट से शीघ्र समिति को अवगत कराया जाये।**

वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून "Invasion Mapping of Prosopis juliflora and Lantana camara, Strategy for Invasion Eradication and Restoration of Degraded Forests in Uttar Pradesh." विषय पर कराये जा रहे अध्ययन कार्यक्रम के सम्बन्ध में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा यह अवगत कराया गया कि भारतीय वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून के वैज्ञानिक द्वारा दिनॉक 25.11.2022 को अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव विभाग, प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, एवं अन्य उच्चाधिकारियों के समक्ष परियोजना में किये गये अध्ययन कार्यों का प्रस्तुतीकरण किया गया, जिसके दौरान सुझाये गये बिन्दुओं के अनुसार कार्यवाही हेतु भारतीय वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून को पत्र लिख गया है।

उक्त के क्रम में **समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि भारतीय वन अनुसंधान संस्थान से दिनॉक 25.11.2022 की बैठक में सुझाये गये बिन्दुओं का समावेश करते हुए अध्ययन की अन्तिम रिपोर्ट प्राप्त कर समिति के समक्ष प्रस्तुत की जाये।**

2. उ0प्र0 कैम्पा द्वारा कराये जा रहे वृक्षारोपणों, जिन हेतु 7 से 10 वर्ष अनुरक्षण दिया जा रहा है, के सफलता मानकों के निर्धारण हेतु गठित समिति की अंतिम रिपोर्ट अभी तक प्राप्त न होने पर समिति द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त किया गया।

समिति द्वारा यह निर्देश दिये गये कि सफलता मानकों के निर्धारण हेतु प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश, लखनऊ की अध्यक्षता में शीघ्र बैठक आहूत की जाये तथा वांछित अन्तिम रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत की जाये।

3. (क) प्रभागीय वनाधिकारी, पीलीभीत टाईगर रिज़र्व, पीलीभीत द्वारा वर्ष 2012 में शारदा कं0 03 में 1.012 है0 एवं है0 के अतिरिक्त 100 पौध कराये गये क्षतिपूरक वृक्षारोपण के असफल होने के सम्बन्ध में, मुख्य वन संरक्षक, रूहेलखण्ड जोन, बरेली द्वारा प्रेषित आख्या के अनुसार उक्त क्षेत्र में वर्ष 2021–22 में पुनः वृक्षारोपण करा लिया गया है, जिसकी शत–प्रतिशत सफलता सुनिश्चित की जायेगी।

उक्त के सम्बन्ध में **समिति द्वारा निर्देश दिये गये कि मुख्य वन संरक्षक, रूहेलखण्ड जोन, बरेली से उक्त असफल वृक्षारोपण के सम्बन्ध में कृत कार्यवाही का विवरण प्राप्त किया जाये तथा तथा विभागीय अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कराते हुए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की जाये।**

(ख) प्रभागीय वनाधिकारी, सोहेलवा वन प्रभाग में वर्ष 2012 में 5.60 है0 एवं वर्ष 2013 में 2.65 है0 में कराये गये क्षतिपूरक वृक्षारोपण के असफल होने के सम्बन्ध में मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव पूर्वी, गोण्डा द्वारा प्रस्तुतीकरण में अवगत कराया गया कि असफल वृक्षारोपण हेतु उत्तरदायी तत्कालीन क्षेत्रीय वनाधिकारी, सेक्शन प्रभारी एवं बीट प्रभारी को आरोपित किया गया था, लेकिन क्षेत्रीय वनाधिकारी की मृत्यु के बाद उनके विरूद्ध प्रशासनिक कार्यवाही समाप्त करते हुए सेक्शन प्रभारी एवं बीट प्रभारी से निहित राजकीय क्षति की वसूली की गयी है।

तत्क्रम में, **समिति द्वारा निर्देश दिये गये कि असफल हुये वृक्षारोपण का पुनः वृक्षारोपण कराते हुए शत्–प्रतिशत सफलता सुनिश्चित करायी जाये एवं वांछित रिपोर्ट उ0प्र0 कैम्पा को उपलब्ध करायी जाये।**

(ग) कैमूर वन्यजीव प्रभाग में वर्षाकाल 2016 में कराये गये 50.00 है0 क्षतिपूरक वृक्षारोपण के असफल वृक्षारोपण के सम्बन्ध में मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव पश्चिमी क्षेत्र, कानपुर द्वारा अवगत कराया गया कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिन्हित स्थल पर गिरोह बन्द अतिक्रमणकारियों द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है इनके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की गयी है, अतिक्रमणकारियों के विरूद्ध मा0 न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया है।

उक्त के सम्बन्ध में **समिति द्वारा यह निर्देश दिये गये कि प्रकरण में जिला प्रशासन से आवश्यक सहयोग प्राप्त कर चिन्हित स्थल को अतिक्रमण से मुक्त कराया जाये तथा क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थापित किये जाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही की जाय।**

(घ)(1) आगरा वन प्रभाग में वर्षाकाल 2017 में कराये गये 30.00 है0 क्षतिपूरक वृक्षारोपण के असफल वृक्षारोपण के सम्बन्ध में सम्बन्ध में प्रभागीय वनाधिकारी, आगरा द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त असफल वृक्षारोपण हेतु सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करते हुए वसूली की कार्यवाही प्रचलित की जा चुकी हैं। उनके द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि मुख्य रूप से वृक्षारोपण हेतु सिंचाई एवं सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त न होने के कारण क्षतिपूरक वृक्षारोपण असफल हुआ है, जिसे सफल बनाने हेतु प्रभागीय वनाधिकारी, आगरा द्वारा 30.00 है0 क्षतिपूरक वृक्षारोपण की संशोधित परियोजना तैयार की गयी है।

तत्सम्बन्ध में, **समिति द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी, आगरा को यह निर्देश दिये गये कि सम्बन्धित वनभूमि हस्तांतरण प्रकरण के सापेक्ष प्रयोक्ता अभिकरण से प्रश्नगत सी0ए0 के सापेक्ष उत्तर प्रदेश कैम्पा से प्राप्त धनराशि तथा अवशेष धनराशि के उपयोग से वृक्षारोपण सफल करने का वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक से प्रतिहस्ताक्षरित प्रस्ताव वर्ष 2023–24 की वार्षिक प्रचालन योजना में सम्मिलित करायें व क्षति वृक्षारोपण की सफलता सुनिश्चित की जाये।**

(घ)(2) प्रभागीय निदेशक, अलीगढ़ वन प्रभाग द्वारा वर्षाकाल 2011 (18.38 है0) एवं वर्षाकाल 2016 में (16.12 है0) क्षतिपूरक वृक्षारोपण तथा वर्षाकाल 2018 (12.87 है0), वर्षाकाल 2019 (74.844 है0) में गैर क्षतिपूरक वृक्षारोपण के असफल होने के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि आर्थिक अपराध शाखा द्वारा प्रकरण में प्राथमिक जॉच पूर्ण कर सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध FIR दर्ज कर ली गयी है। सभी उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों को आरोप पत्र निर्गत कर दिये गये हैं।

उक्त के सम्बन्ध में **समिति द्वारा यह निर्देश दिये गये कि क्षतिपूरक वृक्षारोपणों की सफलता शत–प्रतिशत सुनश्चित की जाये।**

अन्य एजेण्डा बिन्दुः– उ0प्र0 कैम्पा से कराये जा रहे वृक्षारोपणों की सफलता निर्धारित मानकों के अनुरूप सुनिश्चित किये जाने के उद्देश्य से **समिति द्वारा निर्देश दिये गये कि प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0, लखनऊ के स्तर से निर्गत स्थायी आदेश का कड़ाई से पालन करते हुए सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा सूचना Plantation Monitoring System पर भी अपलोड की जाये।**

एजेण्डा बिन्दु–2:– **उत्तर प्रदेश कैम्पा का वर्ष 2021–22 का वार्षिक विवरण (Annual Report Year 2021-22) से समिति को अवलोकित कराते हुए अंगीकृत कराया जाना।**

समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त उत्तर प्रदेश कैम्पा वर्ष 2021–22 के वार्षिक विवरण (Annual Report) से अवलोकित होते हुए अंगीकृत किया गया।

एजेण्डा बिन्दु–3:– **उत्तर प्रदेश कैम्पा की वर्ष 2022–23 की वार्षिक प्रचालन योजना के सापेक्ष प्रगति सूचना से समिति को अवगत कराया जाना।**

उ0प्र0 कैम्पा कार्यपालक समिति वर्ष 2022–23 की वार्षिक प्रचालन योजना की प्रगति से अवगत हुयी।

एजेण्डा बिन्दु–4:– **उत्तर प्रदेश कैम्पा की वर्ष 2023–24 की वार्षिक प्रचालन योजना के निरूपण से समिति को अवगत कराया जाना।**

समिति, उत्तर प्रदेश कैम्पा की वर्ष 2023–24 की वार्षिक प्रचालन योजना के निरूपण हेतु प्रभागों/कार्यालयों से प्राप्त प्रस्तावों से अवगत हुयी।

उक्त के सम्बन्ध में समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त निम्नानुसार मत स्थिर किया गया :–

1. वर्ष 2023–24 की वार्षिक प्रचालन योजना के अन्तर्गत Catchment Area Treatment Plan एवं Others मदों के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्य स्थलों के Geo-coordinates का सत्यापन सम्बन्धित मुख्य वन संरक्षक से करा लिया जाये तथा वृक्षारोपण स्थलों के पॉलीगन्स तैयार करा लिये जायें।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव, उ0प्र0, लखनऊ के स्तर से वर्ष 2023–24 की वार्षिक प्रचालन योजना के अन्तर्गत अन्य मद (Others) एवं एन0पी0वी0 मद के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्य हेतु विस्तृत स्थलवार प्रस्ताव निर्धारित प्रारूप में तैयार कराकर कार्यों हेतु प्रस्तावित स्थलों का परीक्षण Google Earth पर करते हुए समेकित प्रस्ताव दिनॉक 19.12.2022 तक उपलब्ध कराया जाये।
3. प्रर्वतन कार्य हेतु प्राविधानित धनराशि के अन्तर्गत 40 प्रतिशत धनराशि वन्यजीव से सम्बन्धित प्रभागों हेतु प्रस्तावित की जाये तथा इसके अन्तर्गत प्राविधानित कार्यों का विवरण तैयार कर वार्षिक प्रचालन योजना में सम्मिलित किया जाये।

वर्ष 2023–24 की वार्षिक प्रचालन योजना हेतु धनराशि रू0 19000.00 लाख के अन्तर्गत CAF Rules, 2018 के नियम–5 व 6 के अधीन प्रस्तावित कार्यों को पुनः व्यवस्थित (Re-arranged) किये जाने की दृष्टि से आवश्यक परिवर्तन किये जाने तथा Mandatory Works के अन्तर्गत अतिरिक्त कार्य सम्मिलित किये जाने हेतु प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश/अध्यक्ष, कार्यपालक समिति, उ0प्र0 कैम्पा को अधिकृत किया गया।

एजेण्डा बिन्दु–5:– **कार्यालय महालेखाकार द्वारा की गयी टिप्पणी के क्रम में उ0प्र0 कैम्पा के वित्तीय वर्ष 2014–15 के पुनरीक्षित वार्षिक लेखे का अनुमोदन प्रदान किया जाना।**

उ0प्र0 कैम्पा के वित्तीय वर्ष 2014–15 के पुनरीक्षित वार्षिक लेखे का कार्यपालक समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु–6:– **कार्यालय महालेखाकार द्वारा की गयी टिप्पणी (वार्षिक लेखों के आकड़ो में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, मात्र Explain किये जाने के दृष्टिगत Annexure लगाया गया है, के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का परिवर्तन लेखों में परिवर्तन की श्रेणी में आता है एवं उपलब्ध कराये गये लेखे Executive Committee/Steering Committee से अनुमोदित लेखों के समरूप (Identical) नहीं रह जाते हैं) के क्रम में उ0प्र0 कैम्पा के वित्तीय वर्ष 2015–16 से 2018–19 तक वार्षिक लेखों का अनुमोदन प्रदान किया जाना।**

महालेखाकार कार्यालय द्वारा की गयी टिप्पणी के क्रम में उ0प्र0 कैम्पा के वित्तीय वर्ष 2015–16 से 2018–19 के वार्षिक लेखों के सम्बन्ध में अवगत होते हुए कार्यपालक समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु–7:– **उ0प्र0 कैम्पा के वित्तीय वर्ष 2019–20 के आडिटेड वार्षिक लेखे का अनुमोदन प्रदान किया जाना।**

उ0प्र0 कैम्पा के वित्तीय वर्ष 2019–20 के आडिटेड वार्षिक लेखे का कार्यपालक समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु–8:– **वर्ष 2022–23 की वार्षिक प्रचालन योजना के अन्तर्गत उ0प्र0 कैम्पा अभिचालन समिति द्वारा अनुमोदित एन0पी0वी0 की अन्य मदों में स्थल परिवर्तन का अनुमोदन प्रदान किया जाना।**

उत्तर प्रदेश कैम्पा की वर्ष 2022–23 की वार्षिक प्रचालन योजना के अन्तर्गत उ0प्र0 कैम्पा अभिचालन समिति द्वारा एन0पी0वी मद के अन्तर्गत स्थल परिवर्तन को कार्यपालक समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु–9:–

(अ) उत्तर प्रदेश कैम्पा हेतु आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्मिकों की आपूर्ति हेतु जेम पोर्टल के माध्यम से सेवा प्रदाता संस्था के चयन के सम्बन्ध में समिति को अवगत कराया जाना।

चयनित सेवा प्रदाता संस्था "FREEDIME INFOTECH PRIVATE LIMITED" से आउटसोर्सिंग कार्मिकों की आपूर्ति हेतु की गयी कार्यवाही/अनुबन्ध से समिति अवगत हुयी।

(ब) प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0, लखनऊ/अध्यक्ष, उ0प्र0 कैम्पा कार्यपालक समिति के कैम्प कार्यालय हेतु आउटसोर्सिंग के माध्यम से रखे गये कार्मिक के सम्बन्ध में अनुमोदन प्रदान किया जाना।

समिति द्वारा रखे गये कार्मिक के सम्बन्ध में कार्योंपरान्त अनुमोदन प्रदान किया गया।

अतिरिक्त एजेण्डा:–उत्तर प्रदेश वन निगम द्वारा उ0प्र0 कैम्पा के एन0वी0पी0 अन्तर्गत गैर क्षतिपूरक वृक्षारोपण मद (Non-CA Plantation) में वित्त पोषण का प्रस्ताव।

उत्तर प्रदेश वन निगम द्वारा उ0प्र0 कैम्पा के एन0वी0पी0 अन्तर्गत गैर क्षतिपूरक वृक्षारोपण मद (Non-CA Plantation) में वित्त पोषण का प्रस्ताव समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया, परन्तु एन0पी0वी0 मद में धनराशि की अनुपलब्धता के कारण उत्तर प्रदेश कैम्पा की वर्ष 2023–24 की वार्षिक प्रचालन योजना में सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में समिति द्वारा सहमति व्यक्त नहीं की गयी।

अन्य एजेण्डा बिन्दु :– अध्यक्ष महोदय की अनुमति से।

उक्त बैठक में सुझाव दिया गया कि वन्यजीव क्षेत्रों में पानी की समुचित व्यवस्था हेतु उपयुक्त स्थलों पर वाटर होल का निर्माण कराया जाये।

बैठक धन्यवाद के साथ समाप्त हुई।

अनुमोदित
13/12/22
प्रधान मुख्य वन संरक्षक
एवं विभागाध्यक्ष, उ0प्र0, लखनऊ

13/12
(संजय श्रीवास्तव)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी/सदस्य सचिव
कार्यपालक समिति, (उ0प्र0 कैम्पा), लखनऊ

पत्रांक– 513 /2–37–2 (कार्यपालक समिति–08) दिनांक दिसम्बरः 13 : 2022

प्रतिलिपि– उपरोक्त बैठक का कार्यवृत्त निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, पर्यावरण, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नियोजन, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
4. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, ग्रामीण विकास, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
5. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, राजस्व, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
6. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, कृषि, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
7. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, जनजातीय विकास, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
8. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, पंचायती राज, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
9. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
10. प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0, लखनऊ।
11. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव, उ0प्र0, लखनऊ।
12. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, कानपुर।
13. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण एवं कार्ययोजना, उ0प्र0, लखनऊ।
14. मुख्य वन संरक्षक, इकोडेवलपमेंट, उ0प्र0, लखनऊ।
15. मुख्य वन संरक्षक, वन वर्धनिक, दक्षिणी क्षेत्र कानपुर।
16. मुख्य वन संरक्षक, संयुक्त वन प्रबन्ध, उ0प्र0, लखनऊ।
17. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी (FCA), उ0प्र0, लखनऊ।
18. मुख्य वन संरक्षक, बुन्देलखण्ड जोन, झॉसी।
19. मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव पूर्वी, गोण्डा।
20. मुख्य वन संरक्षक, रूहेलखण्ड जोन, बरेली।
21. वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0, लखनऊ।
22. पर्यावरण शिक्षण केन्द्र (C.E.E), उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय, 83 बाल विहार कालोनी, पिकनिक स्पॉट रोड, फरीदी नगर, लखनऊ (गैर–सरकारी संगठन)।
23. टर्टल सर्वाइवल एलाएन्स (T.S.A) डी 1/317, सेक्टर एफ, जानकीपुरम, लखनऊ (गैर–सरकारी संगठन)।
24. श्री सुरेन्द्र कुमार वर्मा, अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, चित्रकुट (जिला स्तर पंचायती राज संस्थान के प्रतिनिधि)।
25. श्री जागन सिंह, अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, पीलीभीत (जिला स्तर पंचायती राज संस्थान के प्रतिनिधि)।
26. श्री धनीराम, ग्राम भुसहर ऊँचवा, पोस्ट परसरामपुर, रजेहना, तुलसीपुर, बलरामपुर (आदिवासी समुदाय का प्रतिनिधि)।

13/12

(संजय श्रीवास्तव)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी/सदस्य सचिव
कार्यपालक समिति, (उ0प्र0 कैम्पा), लखनऊ

प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष (वन बल के प्रमुख), उ0प्र0, लखनऊ की अध्यक्षता में उ0प्र0 कैम्पा कार्यपालक समिति की आठवीं बैठक दिनॉक 12.12.2022 में उपस्थित अधिकारियों की सूची

क्रसं	अधिकारी का नाम / पदनाम	मो0नं0	हस्ताक्षर
1-	ममता संजीव दुबे प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष उ० प्र०		
2-	के०पी० दुबे, प्र०मु०व०सं० एवं मु०का०अ० प्र०, उत्तर प्रदेश	+91-9140324291	[illegible]
3-	Sunil Chaudhary HoFF PT		[illegible]
4-	Hari Om Shukla Research officer Planning.	9454468908	[illegible]
5-	DR. YOGESH PRATAP SINGH SMS (AGRO FORESTRY (AGR).	9452702043	[illegible]
6-	Rajendra Prasad DPRO जनपद उन्नाव[illegible]	7830789215	[illegible]
7-	धनीराम, बलरामपुर आदिवासी समुदाय के प्रतिनिधि	8009924126	धनीराम
8-	राकेश कुमार यादव, अनु सचिव, राजस्व विभाग, उ०प्र० शासन	9454412635	राकेश
9-	अजय कुमार OSD राजस्व परिषद लखनऊ	8826695564	[illegible]
10-	Dr. Saurabh Dewan DO, Turtle Survival Alliance Lucknow	9760195974	[illegible]
11-	Sunil Duby CCF Mets	8755446[illegible]	[illegible]
12-	Kalpana Singh Engineer Zilla Panchayat Pilibhit	9415229180	KS
13-	RAJAT YADAV Deputy Comm. RD	9454485151	[illegible]
14-	Sanjay Shrivastava	9454323308	[illegible]
15-	Anupam Gupta	9456246594	[illegible]

z:\executive committee\ec- 8th meeting attendance sheet.docx

क्रसं	अधिकारी का नाम/पदनाम	मो0नं0	हस्ताक्षर
16-	नीरज कुमार. CCF, Eco-dev	7839435037	
17-	S. N. Mishra CCF WL West Kanpur	9415639825	
18-	A. P. Sinha CCF WL [illegible]	9415571507	
19-	प्रमोद कुमार गुप्ता मु.व.सं. सं.व.प्र.	7839435035	
20-	माया पाण्डेय, वित्त नियंत्रक	8171224494	
21-			
22-			
23-			
24-			
25-			
26-			
27-			
28-			
29-			
30-			